भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2268

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न

2268. श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता और उपलब्धता के संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के अनुचित मूल्य निर्धारण और जमाखोरी के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों में वृद्धि के मद्देनजर वर्तमान आर्थिक माहौल में बाजार मूल्यों को विनियमित करने और उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और उन्हें लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और महामारी और आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर विशेषकर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रवासी श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): विभाग ने, भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्नों की खरीद से लेकर इसके वितरण तक के गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार और जारी किया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों के संबंध में गुणवत्ता संबंधी मामलों पर निगरानी और समन्वय के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और विभाग में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) पोर्टल लागू किया गया है जिसके तहत सभी गुणवत्ता नियंत्रण/निरीक्षण संबंधी गतिविधियों को डिजिटलीकृत किया गया है जिससे आकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता में वृद्धि हुई है।

...2/-

इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। अधिनियम में 75% तक ग्रामीण आबादी के और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ लोगों के बराबर है। भारत सरकार, 5.46 लाख से अधिक उचित दर दुकानों के माध्यम से नियमित रूप से पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत निःशुल्क राशन वितरित कर रही है।

(ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, साप्ताहिक बैठकों में खाद्य तेलों, गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के रुझान के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रक्रिया की भी बारीकी से निगरानी करता है। इसके अलावा, भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं के अलावा खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत खुली बिक्री के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक किफायती बनाने में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, सामान्य उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः दिनांक 06.11.2023 और दिनांक 06.02.2024 को भारत आटा और भारत चावल भी शुरू किया गया।

इसके अतिरिक्त, गेहूं के लिए स्टॉक सीमा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि जमाखोरी से बचा जा सके और घरेलू बाजार में खुदरा कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

(ग): वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (देश भर में) में राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सक्षम की गई है, जो देश में 80 करोड़ से अधिक पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ओएनओआरसी योजना उन लाभार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है जो अस्थायी रोजगार की तलाश में प्रायः अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, प्रवासी मजदूर, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) आदि। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। घर पर रहने वाला परिवार भी उसी राशन कार्ड पर गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न का हिस्सा उठा सकता है।

*****